1	2	3	4	5	6
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	5.52	3.50	8.40	11.08
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	41.28	60.40	298.26	409.81
11.	सामाजिक सेवाएं	444.09	550.99	1230.82	1832.01
12.	सामान्य सेवाएं	34.20	43.38	16.50	45.01
	कुल योग	1675.00	1857.05	5477.50	6549.03

Diversion of Funds for Poverty Alleviation Schemes

2795. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) What have been the physical and financial achievements of major poverty alleviation programmes being implemented in various States during the last three years;

(b) whether diversion of funds from poverty alleviation programmes by any State Government has come to Government's notice; and

(c) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) The physical and financial achievement (State-wise) for major poverty alleviation programmes, namely Integrated Rural Development Programme (IRDP), Jawahar Rozgar Yojana (JRY) and Employment Assurance Scheme (EAS) being implemented in the rural areas of the country for the last three years is given at Annexure. *[See Appendix 180. Annexure No. 58].*

(b) and (c) whenever complaints are received regarding diversion of funds from major poverty alleviation programames they are sent by the nodal Ministry (i.e. the Ministry of Rural Areas & employment) to the concerned State Government for necessary enquiry and appropriate action.

Functioning of Planning Commission

2796. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether World Bank has found any fault with the functioning of India's Planning Commission in fund monitoring;

(b) if so, the details in this regard; and

(c) the corrective steps proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) to (c) The information is being collected.

आंध्र प्रदेश में गरीबी उन्मूलन योजनायें

2797. डा० वाई० लक्ष्मी प्रसाद: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा प्रायोजित गरीबी उन्मूलन योजनाओं को आन्ध्र प्रदेश के कौन-कौन से जिलों में कार्यान्वित किया गया है;

(ख) क्या इन योजनाओं की समीक्षा की गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन योजनाओं को पूर्णतः राज्य सरकार को अंतरित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ): (क) प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नामतः एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना तथा रोजगार आश्वासन स्कीम आन्ध्र प्रदेश के सभी जलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ख) सरकार आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित किए जा रहे ग्रामीण उन्मूलन कार्यक्रमों नामतः एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०डी०पी०), जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०) तथा रोजगार आश्वासन स्कीम (ई०ए०एस०) के क्रियान्वयन की केन्द्र स्तरीय समन्वय समितियों (सी०एल०सी०सी०), राज्य स्तरीय समन्वय समितियों के माध्यम से तथा जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (डी०आर०डी०ए०एस०) के शासकीय निकाय के माध्यम से नियमित रूप से समीक्षा करती है। अगर कार्यक्रमों की प्रमुख संकतकों के आधार पर राज्यों द्वारा प्राप्त नियमित प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से तथा केन्द्र, राज्य और कार्यान्वयन अभिकरणों के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र परीक्षणों के माध्यम से समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, वास्तविक प्रगति की भी कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा मानिटरिंग की जाती है।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के समय प्रभाव के आंकलन के लिए उनके प्रमुख स्कीमों का आबंधत आवधिक समवर्ती कराता है। आई आर डी पी (सितम्बर, 92—फरवरी, 93) तथा जे आर वाई (जनवरी—दिसम्बर, 1992) के संबनध में नवीनतम समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्ट के प्रमुख परिणाम विवरण-I तथा II में क्रमशः संलग्न है **(नीचे देखिए)**।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों की केन्द्र प्रयोजित स्कीमों के स्थानान्तरण की समस्या की जांच करने के लिए योजना आयोग में कार्य किया जा रहा है। रिपोर्ट को शीघ्र ही अनतिम रूप दिया जाएगा तथा राज्यों को उनकी टिप्पणियों हेतु परिचालित किया जाएगा। इसके उपरांत इसे राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा

विवरण - I

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) का समवर्ती मूल्यांकन

(सितम्बर, 92 — फरवरी, 93)
कार्यात्मक सारांश

क. सकारात्मक मुद्दे

1. लाभग्राही परिवारों के चयन में विश्लेषण से पता चला कि 51.5% परिवार ग्राम सभा द्वारा, 43% परिवार स्थानीय कर्मचारियों द्वारा तथा शेष लगभग 5% लोक प्रतिनिधियों और अन्य एजेंसियों द्वारा चयनित किए गए थे। इस प्रकार लाभग्राही परिवारों का एक बड़ा प्रतिशत ग्राम सभाओं द्वारा चयन किया गया था।

2. कमजोर वर्गों में शारीरिक रूप से अपंग तथा अधिशेष भूमि के आबंटियों को मिलने वाले लाभ काफी उत्साहजनक थे। सरकारी तौर पर 34.1% शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति तथा 43.2% अधिशेष भूमि आवंटियों को आई आर डी पी कार्यक्रम से लाभ मिला।

3. लाभग्राहियों को उपलब्ध कराई गई परिसम्पत्तियों के विश्लेषणों से पता चला कि परिवारों का एक बड़ा प्रतिशत (63%) को प्राथमिक सैक्टर तथा प्राथमिक सैक्टर के उप-सैक्टरों के तहत परिसम्पत्तियां उपलब्ध कराई गई थी और लगभग 50% सहायता दुधारू पशुओं के लिए दी गई थी।

4. लाभग्राहियों को दी गई परिसम्पत्तियों की लागत के बारे में अनुमान के अनुसार विश्लेषणों से पता चला कि 85 प्रतिशत मामलों में लाभग्राहियों ने महसूस किया कि उनको दी गई परिसम्पत्तियां अपेक्षाकृत कम लागत की नहीं हैं।

5. लाभग्राहियों के एक बड़े प्रतिशत (96%) ने महसूस किया कि उनको उपलब्ध कराई परिसम्पत्तियों का प्रकार उनके चयन के अनुरूप है।

6. लाभग्राहियों को उपलब्ध कराई गई परिसम्पत्तियां की गुणवत्ता के अनुसार सरसरी तौर पर 69.42% अच्छी गुणवत्ता की पायी गई थी।

7. लाभग्राहियों की परिधार आय के विश्लेषण से पता चला कि परिवारों के एक बड़े प्रतिशत

(56.58%) की परिसम्पत्तियों से वार्षिक पारिवारिक आय 2000/- रु० से अधिक है।

8. लाभग्राहियों से बकायों/वसूली के संबंध में सर्वेक्षण परिणामों से पता चला कि अधिकांश मामलों (59%) के ऊपर कोई राशि बकाया नहीं है और केवल 41% मामलों में कुछ राशि बकाया थी इस प्रकार लाभग्राहियों से वसूली दर सामान्य रूप से संतोषजनक थी।

9. परिसम्पत्तियां प्राप्त न करने के बाद निजी स्रोतों से लाभग्राहियों द्वारा लिए गए उधार के अनुसार, सर्वेक्षण परिणामों से पता चला कि लाभग्राहियों के एक उच्च प्रतिशत (95%) ने निजि स्रोतों से कोई रकम उधार नहीं ली।

10. लाभग्राहियों को उपलब्ध कराई गई परिसम्पत्तियों के निवेश तथा विपणन सुविधों की उपलब्धता के संबंध में विश्लेषणों से पता चला कि प्राथमिक सैक्टर में ऐसी सुविधाएं बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं।

11. प्रति परिवार समग्र निवेश के संदर्भ में सब्सिडी तथा ऋण को मिलाकर, विश्लेषण से पता चला कि तृतीय क्षेत्रक के मामले में यह अधिकतम अर्थात 7613/- रु० जबकि प्राथमिक सैक्टर में 7268/- रु० और द्वितीय सैक्टर में 6307/- रु० था।

12. सभी तीनों प्रमुख सैक्टरों के लिए किए गए अध्ययन से पता चला कि पुराने लाभान्वित परिवारों में से 14.81% ही 11000/- रु० की संशोधित गरीबी रेखा को पार कर सके और 50.4% परिवार 6400/- रु० की पुरानी गरीबी रेखा को पार करने में सफल हो सके।

13. आई आर डी पी के साथ ट्राईसेम के सम्पर्क का विश्लेषण किया गया। और देखने में आया कि 56.23% मामलों में लाभग्राहियों को उसी व्यापार/कार्य के लिए सहायता मिली जिसके लिए प्रशिक्षित किया गया था।

(ख) **चिन्ता के क्षेत्र**

1. यह देखने में आया है कि पुराने लाभग्राहियों को दी गई सहायता की दूसरी किस्त की मात्रा बहुत कम थी। कल पुराने लाभग्राहियों में से केवल 3.28% को दूसरी किस्त दी गई। उसी प्रकार नये लाभग्राहियों के मामले में सहायता की दूसरी किस्त की मात्रा 2.61% से भी कम थी। इस प्रकार पात्र परिवारों को परिवारों की सहायता की बाद की किस्ते उपलब्ध कराने हेतु अधिक ध्यान नहीं दिया गया।

2. यह देखने में आया कि सहायता प्राप्त परिवारों की वार्षिक परिवारिक आय बी पी एल सर्वेक्षण के दौरान अनुमानित राशि से कम थी। क्योंकि अन्वेषकों द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार लगभग 4% लाभग्राही परिवारों की वार्षिक परिवार आय 11000/- रु० से अधिक थी लेकिन अभिलेखों के अनुसार किसी भी परिवार की वार्षिक आय 11000/- रु० प्रति वर्ष से अधिक नहीं थी।

3. सामूहिक बीमा आश्वासन के बारे में लाभग्राहियों के बीच जागरूकता के संबंध में अध्ययन से पता चला कि लाभग्राहियों का अधिकांश प्रतिशत (58%) सामूहिक बीमा आश्वासन स्कीम के प्रति जागरूक नहीं था। इससे पता चलता है कि सामूहिक बीमा आश्वासन स्कीम का समुचित प्रचार नहीं किया गया।

4. नष्ट हुई परिसम्पत्तियों के लिए लाभग्राहियों द्वारा किए गए दावों के निबटान का भी विश्लेषण किया गया। और यह देखने में आया कि 56% मामलों में दावे अनिर्णीत रहे।

5. लाभग्राहियों को विकास पत्रिकाओं के अध्ययन से पता चला कि लाभग्राहियों के सिर्फ एक छोटे प्रतिशत (32%) को विकास पत्रिकाओं की आपूर्ति की गई जो कि एक गंभीर मामला है।

6. ट्राईसेम तथा डी डब्ल्यू सी आर ए के साथ आई आर डी पी का सम्पर्क बहुत कमजोर पाया गया। केवल 2.13% परिवारों ने सूचित किया कि डी डब्ल्यू सी आर के तहत उनके परिवार के किसी सदस्य को शायद ही सहायता मिली हो, लाभग्राहियों में से 3.88% ने ट्राईसेम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने की सूचना दी।

विवरण - II

जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०) का समवर्ती मूल्यांकन

(जनवरी—दिसम्बर, 1992)

प्रमुख उपलब्धियां

क. सकारात्मक मुद्दे

1. यह अवलोकित किया गया है कि उपलब्ध निधियों के एक बड़े हिस्से को, अर्थात् लगभग 73% को ग्राम पंचायतों द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर जे

आर वाई के अंतर्गत समुदाय विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिए खर्च किया गया था। कुछ राज्यों जैसे जम्मू व कश्मीर, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली और पांडिचेरी ने अपने निपटान पर उपलब्ध निधियों के शत-प्रतिशत से अधिक का उपयोग कर लिया था।

2. परिसम्पत्ति निर्माण के तहत यह अवलोकित किया गया है कि ग्रामीण सम्पर्क सड़कों, पंचायत घर, स्कूल भवनों, समुदाय केन्द्रों आदि के निर्माण को ग्राम पंचायतों द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर उच्च प्राथमिकता प्राप्त हुई थी — ग्राम पंचायतों द्वारा पूरी की गई परिसम्पत्तियों का मोटे तौर पर 57% इस प्रकार के कार्यकलापों से संबंधित था। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की परिसंपत्तियों के माध्यम से ग्राम समुदायों को आधार संरचना सुविधा मुहैया करा के ग्राम पंचायतें ग्रामीण गरीबों के लिए अधिक रोजगार अवसर सृजित कर सकती हैं।

3. दिशानिर्देशों के अनुसार जे आर वाई कार्यों के अंतर्गत अकुशल कामगारों को प्रति श्रम दिवस औसत मजदूरी भुगतान राज्य न्यूनतम मजदूरी अधिनयम के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार होना चाहिए। सर्वेक्षण परिणाम ने सूचित किया है कि पंजाब को छोड़कर लगभग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अकुशल कामगारों को प्रति श्रम दिवस औसत मजदूरी भुगतान कमोवेश अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के बराबर था। इसके अतिरिक्त, काम न होने/काम कम होने के मौसम में अकुशल कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी भुगतान दरें निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों के निकट थी। यद्यपि कतिपय राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में काम न होने/कम होने के मौसम में स्थानीय मजदूरी दरें निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों से थोड़ी सी कम थी। अन्य सभी राज्यों में ये निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों से थोड़ी सी ऊंची अथवा उसके निकट थीं।

4. सर्वेक्षण परिणाम ने सूचित किया है कि ग्राम पंचायतों द्वारा शुरू किए गए जे आर वाई कार्यों के व्यय का मजदूरी और गैर-मजदूरी घटक 60:40 की तुलना में अखिल भारतीय स्तर पर 53:47 था और अधिकतर राज्य मानकों को पूरा करते थे।

5. मजदूरी भुगतान के आवर्तन के संबंध में सर्वेक्षण परिणाम ने सूचित किया है कि अधिकतर मामलो में (60%) जे आर वाई कामगारों को भुगतान दैनिक आधार पर अथवा साप्ताहिक आधार पर किया जाता है। कुछ ही मामलों में ये पाक्षिक अथवा मासिक आधार पर था। यद्यपि कुछ राज्यो में मजदूरी भुगतान का आवर्तन अनियमित था।

6. सर्वेक्षण ने सूचित किया था कि 84% मामलों में नामावली का रख-रखाव किया जा रहा था और वे ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध थी। यह बहुत उत्साहवर्धक है क्योंकि रोजगार सृजन के निर्धारण के लिए नामावली एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं।

7. सर्वेक्षण ने सूचित किया था कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों में से मौटे तौर पर 74% को अच्छा/संतोषजनक, 8% खराब और शेष 18% को या तो अधूरा पाया गया और या निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं पाया गया।

8. इस संबंध में सामान्य दिशानिर्देशनों को पूरा करते हुए सृजित रोजगार में क्रमशः अनुसूचित जाति/जनजाति और भूमिविहीन श्रमिकों का हिस्सा 54% और 38% था।

9. यह अवलोकित किया गया है कि एक जे आर वाई कामगार को संदर्भ अवधि के दौरान मौटे तौर पर 4 श्रम दिवस का रोजगार प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त मोटे तौर पर रोजगार का एक श्रम दिवस उसके परिवार के अन्य सदस्यों को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार सर्वेक्षण की तारीख से पूर्व पिछले तीस दिनों के दौरान समग्र रूप से एक परिवार के लिए अखिल भारतीय स्तर पर सृजित रोजगार के श्रम दिवस की औसत संख्या 5 श्रम दिवस थी जो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार बहुत कम है। यद्यपि यह संतोषजनक है कि कतिपय राज्यों जैसे असम, गोवा, उड़ीसा और लक्षद्वीप में सृजित रोजगार का औसत श्रम दिवस अखिल भारतीय स्तर से बहुत अधिक (10 से अधिक) था। उदाहरणार्थ उड़ीसा राज्य में, जहां गरीबी की घटनाएं अधिक हैं, जे आर वाई कामगार को संदर्भ अवधि के दौसन औसत पर 12.32 श्रम दिवसों तक रोजगार प्राप्त हुआ था। इस प्रकार असम, गोवा, उड़ीसा और लक्षद्वीप में रोजगार सृजन के अनुरूप आंकड़े सर्वेक्षण की तारीख से पूर्व 30 दिनों के दौरान क्रमशः 10.72,22.06 और 22.10 श्रम दिवस थे।

10. निर्मित परिसम्पत्तियों का अधिकतर मामलों (50%) में रख-रखाव ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा था। यद्यपि 17.5 मामलों में इनका रख-रखाव किसी भी एजेंसी द्वारा नहीं किया जा रहा था।

11. जे आर वाई कामगारों ने एक मत से सूचित किया था कि निर्मित परिसंपत्तियां गरीब लोगों के लिए उपयोगी थीं। 74% के लगभग कामगार जे आर वाई के

अंतर्गत प्राप्त होने वाले लाभों से भी संतुष्ट थे। यद्यपि एक तिहाई का यह मत था कि मजदूरी दरों को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि वह कम थी।

ख. चिन्ता के क्षेत्र

(i) सर्वेक्षण ने सूचित किया था कि अखिल भारतीय स्तर पर चुनी गई पंचायतों के 3081 अध्यक्ष में से केवल 39% जे आर वाई कार्यों के कार्यान्वयन हेतु प्रशिक्षण स्तर तक पहुंच सके। यह जे आर वाई कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों हेतु निर्धारित किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरुप नहीं है। अतएव प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ग्राम पंचायतों के शीर्षों को और अधिक अभिमुख बनाने की जरूरत है।

(ii) कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का हिस्सा केवल 20% था। मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार 30% रोजगार के अवसर महिलाओं के लिए सुनिश्चत किए जाने चाहिए।

(iii) असम, जम्मू व कश्मीर, त्रिपुरा, दादरा व नगर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी जैसे कतिपय राज्यों में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार वार्षिक कार्य योजनाओं पर ग्राम सभा की बैठकों में विचार-विमर्श नहीं किया गया । इससे ग्राम पंचायतों की कार्य प्रणाली में खामियों का पता चलता है।

(iv) सर्वेक्षण ने ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य को पूरा करने में देरी के विभिन्न कारणों की जांच पड़ताल की। कार्यों के ग्राम पंचायतों द्वारा पूरा न किए जाने का मुख्य कारण "निधियों की कमी" थी। मौटे तौर पर अखिल भारतीय स्तर पर कार्यों में देरी निधियों में कमी की वजह से हुई थी। कुछ राज्यों जैसे गोवा, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर आदि मौटे तौर पर कार्यों के 80% से शत-प्रतिशत निधियों की कमी के कारण पूरा नहीं कर सके थे।

(v) सामान्य तौर पर ग्राम पंचायतों से उनके द्वारा शुरू किए गए विभिन्नकार्यों के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने की आशा की जाती है। यद्यपि, सर्वेक्षण परिणाम ने सूचित किया है कि स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग पर्याप्त नहीं था।

(vi) सर्वेक्षण परिणामों ने पुरुष और महिला अकुशल कामगार का प्रति श्रम दिवस औसत मजदूरी भुगतान में कुछ असमानता को सूचित किया है। दिशानिर्देशों के अनुसार अकुशल पुरुष या महिला कामगार को प्रति श्रम दिवस औसत मजदूरी भुगतान में कोई असमानता नहीं होनी चाहिए। सर्वेक्षण परिणाम ने दर्शाया है कि कुछ राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु पांडिचेरी में पुरुष और महिला अकुशल कामगार को दिए जाने वाले प्रति श्रम दिवस औसत मजदूरी भुगतान में असमानता थी।

(vii) दिशा निर्देशों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण गरीब लक्ष्यित वर्ग की संरचना करते हैं। यद्यपि सर्वेक्षण परिणाम ने सूचित किया है कि जे आर वाई कार्यों में भाग लेने वाले कुल कामगारों में से मौटे तौर पर 57% की वार्षिक आय 6401/- रुपये अथवा अधिक है और केवल 43% की वार्षिक आय 6400/- रुपये से कम है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जे आर वाई कामगारों का एक बड़ा हिस्सा जो अपात्र श्रेणी से संबंधित है, ने जे आर वाई कार्यक्रम का लाभ उठाया था।

प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज

2798. **श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य'**: क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री ने पदभार ग्रहण करने के बाद कुल कितने आर्थिक पैकेजों की घोषणा की है;

(ख) क्या यह सच है कि ये आर्थिक पैकेज विभिन्न विभागों/मंत्रालयों से संबंधित है;

(ग) क्या इन आर्थिक पैकेजों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और क्या कार्यान्वयन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए कोई केन्द्रीय तंत्र गठित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ): (क) प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेजों के ब्यौरों को रेखांकित करते हुए विवरण में संलग्न किया गया है। **(नीचे देखिए)**।

(ख) जी हां,

(ग) और (घ) कार्यक्रम आरंभ हो गए हैं और आशा है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक ये पूरे हो जाएंगे। इन कार्यक्रमों को, गृह मंत्रालय में उत्तर पूर्व